छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-09

रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019

(माघ 24, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने-

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार-

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय़, बिलासपुर का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

(2) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा

(मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018)

पटल पर रखे।

3. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की। ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम चेरीया एवं पौता की आवागमन सड़क को बंद कर दिये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री सौरभ सिंह सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में सोथी एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा तहसील के ग्राम पंचायत सोनसरी के हाईस्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किये जाने,

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में अनियमितता होने,

(3) श्री अजीत जोगी, सदस्य ने विकासखण्ड मरवाही के विभिन्न ग्रामों में पेयजल की समस्या होने,

(4) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने बलरामपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में शौचालय निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी भुगतान न किये जाने, तथा

(5) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य वितरक नहर पूर्ण नहीं होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कथन किया कि आज अनुदान मांगों पर प्रस्ताव प्रस्तुत होना था, किन्तु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं हो सके । अनुदान मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अन्य दिन लिये जाने की अनुमति चाही तथा खेद व्यक्त किया ।

अपराह्न 12.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 (माघ-25, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा